



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180650

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या**

**- 8191 वर्ष 2026**

आवेश उर्फ आकाश सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अमित राय, विकास शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 206 सन् 2011, धारा 147, 148, 149, 307, 34 आई.पी.सी., थाना- कर्नलगंज, जनपद-प्रयागराज में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा नामजद किया गया है। आवेदक छात्र राजनीति में सक्रिय था और छात्र नेता था, जिसके कारण उसे इस झूठे मामले में फंसाया गया, जिसमें पुलिस दल पर गोली चलाए जाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप कोई चोट नहीं आई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इसी प्रकार पांच अन्य मामलों में भी फंसाया गया है, जो सभी थाना कर्नलगंज, जनपद इलाहाबाद (अब जनपद प्रयागराज) के हैं। आवेदक पूर्ववर्ती सभी मामलों में जमानत पर है और उनमें से एक मामला पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.05.2011 को दर्ज की गई थी। आरोप-पत्र दिनांक 09.12.2011 को प्रस्तुत किया गया और आवेदक ने आज तक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण नहीं किया है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे इंगित किया है कि दिनांक 10.09.2024 से आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंटों की तामीली लंबित है और चूंकि आवेदक फरार है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त मुद्दे पर प्रत्युत्तर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक अन्य मामलों, जो सभी उसी थाने से संबंधित हैं, में प्रयागराज स्थित संबंधित न्यायालयों के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है। वर्तमान मामले में संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से बचने का आवेदक के पास कोई कारण नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि आरोप-पत्र दिनांक 09.12.2011 को प्रस्तुत किया गया था, तथापि संज्ञान दिनांक 22.06.2013 को लिया गया और आवेदक के विरुद्ध समन दिनांक 04.06.2015 को जारी किए गए। प्रमाणित आदेश-पत्र पर भरोसा करते हुए उन्होंने अब तर्क दिया है कि यद्यपि गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, तथापि दिनांक 14.05.2026 को जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. प्रथम दृष्टया, शपथपत्र के साथ दाखिल आदेश-पत्र पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि संबंधित न्यायालय द्वारा समन की तामीली के संबंध में कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है। कहा गया है कि आवेदक उसी थाने से उसके विरुद्ध दर्ज किए गए अन्य मामलों में न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित होता रहा है। आवेदक स्वयं को छात्र नेता बताता है, जिसे पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रथम दृष्टया, आदेश-पत्र तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध लंबित अन्य मामलों में उसके फरार होने की सूचना नहीं है, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक फरार व्यक्ति नहीं है। मामले के तथ्यों के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक तथा कुछ अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि एक अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था तथा सह-अभियुक्त के कब्जे से देशी तमंचा, कुछ जीवित कारतूस और एक चला हुआ कारतूस बरामद किया गया है। आवेदक का नाम उसके संस्वीकृति कथन में सामने आया है। वर्तमान मामले में कोई चोट नहीं आई है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **आवेश उर्फ आकाश सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे तत्काल उक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

31 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।